

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर**

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ. 4(ई)(एम-851/2013) अलेसे-111 906

दिनांक:- 15.12.2022

**कार्यालय आदेश**

निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी द्वितीय को उनके आवेदन के अनुसार में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क.सं. | लिंक नं. | नम सहायक<br>लेखाधिकारी-11<br>(श्री/श्रीमती/सुश्री) | नाम परीक्षा                                           | आयोजक संस्था                             | वर्तमान<br>पदस्थापन<br>कार्यालय              |
|-------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                                                     | 5                                        | 6                                            |
| 1     | 13028    | लोकेश शर्मा                                        | विधि स्नातक<br>(प्रथम वर्ष)<br>2022-23<br>(सांयकालीन) | शेखावटी संध्या<br>लॉ इंस्टीट्यूट<br>सीकर | न्यायाधीश<br>पारिवारिक<br>न्यायालय,<br>सीकर। |

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्ययन होगी:-

1. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
2. परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृति नहीं किया जावेगा।
3. उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
4. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृति नहीं किया जावेगा।
5. प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

यह निदेशक महोदय से अनुमोदित है।

(क.जी. मुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

क्रमांक:- एफ. 4(ई)(एम-851/2013) अलेसे-111 906

दिनांक:- 15.12.2022

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभाग/कार्यालय (तालिका) के कॉलम 6 के अनुसार।
2. निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)